भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1244

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: धान की खरीद

1244. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को धान की खरीद में विलंब और अकुशलता के कारण किसानों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो धान की खरीद प्रक्रिया के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मुद्दों के समाधान के लिए सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): केंद्रीय पूल के लिए धान की खरीद मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है, जो किसानों से धान की खरीद कर धान की मिलिंग तथा चावल तैयार करने के लिए चावल मिलों को उसकी डिलीवरी के उद्देश्य से, आढ़तियों (दलालों को) जहां कहीं भी व्यवहार में हो, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) आदि में नियोजित करती हैं।

राज्य सरकारें मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत कुशल खरीद संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत खरीद योजना तैयार करती हैं। संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण व परिवहन आदि जैसे अन्य रसद/इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में खरीद केंद्र खोले जाते हैं।

संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2024-25 के लिए धान की खरीद निर्धारित तिथियों पर शुरू हो गई है। कुछ राज्यों में, सितंबर के महीने में भारी बारिश और इसके परिणामस्वरूप धान में अधिक नमी की मात्रा के कारण धान की कटाई और मंडियों में इसकी आवक में देरी हुई, जिससे खरीद में थोड़ी देरी हुई। आरंभ में देरी के बावजूद, खरीद कार्य अनुमानित खरीद को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से संचालित हो रहा है।

*****